DRASHTA Foundation

एको द्रष्टाऽसि सर्वस्य

Ref.D002/05/2025 **Date**. 27/05/2025

सेवा में,
जिलाधिकारी
जनपद- नैनीताल (उत्तराखंड)

विषयः आवासीय ग्राम भोर्सा के निकट एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कम्पनी द्वारा लगाए जा रहे अवैध पत्थर क्रशर पलांट और चल रही निर्माण गतिविधियों से ग्रामीणों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानी के संबंध में अवैध क्रशर पलांट पर कार्रवाई हेतु।

महोदय,

मैं अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपको सूचित कर रहा हूं। यही मेरा नागरिक धर्म भी है। द्रष्टा फाउण्डेशन विश्व कल्याण हेतु काम करता है। मानव कल्याण हेतु पर्यावरण को संरक्षित करना संस्था की प्राथमिकता है। मानव समाज में दिए गये हमारे इसी वचन से उम्मीद कर नैनीताल के भोर्सा ग्रामसभा के ग्रामीण पत्थर क्रशर प्लांट के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए संस्था में शिकायत किए हैं। कानूनी कार्रवाई करने का प्रथम अधिकार स्थानीय प्रशासन का होता है। इसी संदर्भ में विषय से संबधित सभी प्रशासनिक विभागों को एक रिपोर्ट (ग्राम अध्ययन) के साथ संस्था सूचित कर रही है। और इसके साथ ही संस्था प्रशासन से कुछ प्रश्न भी कर रही है।

भोर्सा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का आरोप है कि आबादी के पास अवैध पत्थर क्रशर प्लांट स्थापित किया गया है। क्रशर प्लांट की गतिविधयों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदुषित हो रही है। क्रशर प्लांट और भारी तादात में ट्रकों की आवाजाही से उड़ने वाली रेतीली धूल सांसों के जरिए फेंफड़ों को संक्रमित कर रही है। मानकों से अधिक डेसिबल की ध्वनि से लोग अनिद्रा और अधकपारी से ग्रसित हो रहे हैं। 190 से अधिक बूजूर्ग सांस संबधित बीमारी दमा आदि से ग्रसित है। इन बूजूर्ग व्यक्तियों पर जान का खतरा है। इसलिए ग्राम सभा ने इस क्रशर प्लांट को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है।

अतः श्रीमान् जी समक्ष प्रस्तुत विषय का अध्ययन करें और ग्रामीणों की सहायता से मानवीय और कानूनी समस्याओं को हल करें। महोदय से उचित कार्रवाई की संस्था उम्मीद कर रही है। इस संदर्भ में प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया इसकी सूचना भी संस्था को दी जाय ताकि संस्था अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

संलग्न- द्रष्टा की निगरानी समिति द्वारा प्रस्तुत ग्राम अध्ययन रिपोर्ट पत्र

भवदीय

रविकांत सिंह (अध्यक्ष)

For Drashta Foundation
R K Singh
President

www.drashtafoundation.org

Reg. N.- 5082/2022-23 drashtainfo@gmail.com Contact: +91- 7011067884, 7289042763
Reg Address :Shop N. 8, Plot N. 94/4, G/F, Village Patparganj, Mayur vihar Phase- 1, Delhi -110091
PO. Address- ·HN. 43 B, 2nd Floor, PatparGanj, Mayur Vihar Phase-1, Delhi -110091

1.

विशेष दल की रिपोर्ट- 11 मई 2025

द्रष्टा फाउण्डेशन ने गांवों में विकास कार्यों, कला-संस्कृति और पर्यटन का विशेष अध्ययन करने और निगरानी के लिए एक 5 सदस्यी केंद्रीय निगरानी समिति और 3 सदस्यी स्थानीय विशेष दल का गठन किया है। यही दल उत्तराखण्ड के गांवों का अध्ययन कर रही है। इसी संदर्भ में ग्राम भोर्सा के स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर बेसिक रिपोर्ट प्रस्तुत है।

स्थान- ग्राम-भोर्सा, डाकघर अमृतपुर, तहसील-हल्दवानी, जिला-नैनीताल, उत्तराखंड- 263126

भौगोलिक क्षेत्र- भोरसा ग्राम लगभग 29.22° उत्तर अक्षांश और 79.52° पूर्व देशांतर के आसपास स्थित है, जो हल्द्वानी शहर के समीप है। यह गाँव समुद्र तल से लगभग 424 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भाभर क्षेत्र में पड़ता है, जहां पहाड़ी नदियाँ भूमिगत होकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पुनः प्रकट होती हैं। हिमालय की तलहटी और गंगा के मैदानों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गौला नदी जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

भोरसा ग्राम कुमाऊँ का प्रवेश द्वार कहलाता है। यह गाँव नैनीताल रोड और गौला नदी के आसपास के क्षेत्र में है, जो इसे कुमाऊँ के पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है।

शहर से दूरी- 15 किलोमीटर पक्की और कच्ची सड़क से चलने पर उत्तर-पूर्व में भोर्सा ग्राम सभा है।

आबादी- भोर्सा गांव में 119 परिवार है जिनकी आबादी 700 के लगगभग है।

समस्या क्या है?

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा आबादी क्षेत्र के पास पर्यावरणीय नियम-कानूनों को दरकिनार कर अवैध तरीके से क्रशर प्लांट लगा दिया है। आबादी से 1.5 किलोमीटर दूर जमरानी बांध के बन रहा है। इसके नाम पर गौला नदी के तल में लगे पत्थर क्रशर इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने स्पष्ट रूप से वैधानिक पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करके की है।

इसका संचालन निस्संदेह पहले से ही गंभीर ध्वनि और वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ा देगा, जिससे ग्रामीणों को असहनीय पीड़ा होगी। हम वर्तमान में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और पत्थर क्रशर की गतिविधियों की शुरूआत केवल इस पीड़ा को कई गुना बढ़ाएगी। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आवासीय क्षेत्र के इतनी निकट पत्थर क्रशर का स्थान स्वाभाविक रूप से हानिकारक होगा क्योंकि इससे अपरिहार्य वायु और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होगा। चिंताजनक रूप से, आवासीय घरों और आपत्तिजनक पत्थर क्रशर इकाई के बीच की दूरी मात्र कुछ मीटर है।

इस अवैध गतिविधि में सैकड़ों भारी वाहन, जिनमें ट्रक, डम्पर और छोटे वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं, सुबह 4:30 बजे से आधी रात तक चलते हैं। परिणामस्वरूप, भोर्सा गाँव को भीमताल रोड से जोड़ने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क कई बड़े गड्ढों के साथ खतरनाक स्थिति में बदल गई है, जिससे पैदल चलने वालों और वाहनों के लिए समान रूप से गुजरना लगभग असंभव हो गया है। इसके परिणामस्वरूप होने वाले ध्वनि प्रदूषण ने क्षेत्र में शांतिपूर्ण जीवन जीना वस्तुतः असंभव बना दिया है, जो दिन और रात भर व्याप्त खतरनाक स्तर के वायु प्रदूषण से और बढ़ गया है।

वृद्धों की संख्या और स्वास्थ्य की दशा- जिनमें से लगभग 190 वरिष्ठ नागरिक हैं जो पहले से ही अस्थमा सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं।

ग्राम सभा ने नहीं दी है अनापत्ति प्रमाण पत्र-

आबादी से 500 मीटर की दूरी पर प्लांट लगाने के लिए स्थानीय परिवारों या भूस्वामियों की अनापत्ति आवश्यक है लेकिन पर्यावरण संरक्षण के नियम-कानूनों का उलंघन कर एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने क्रशर प्लांट लगाया है। इसलिए ग्राम सभा के सदस्यों ने एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है।

2.

ग्राम सभा अधिकारों का उलंघन

ग्राम सभा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा लगाया गया प्लांट अवैध है। और यह संविधान की 11 वीं अनुसूचि के अनुसार पंचायतीराज में ग्राम सभा को मिले अधिकारों का उलंघन है।

उत्तराखण्ड में क्रशर प्लांट लगाने के नियम-

-सार्वजनिक धार्मिक स्थल, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, और आबादी से न्यूनतम 500 मीटर।

-वन क्षेत्र/अभयारण्यः 1 किमी से अधिक।

-राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग- 200-500 मीटर।

-नदियाँ/जल स्रोतः 500 मीटर।

उत्तराखंड-विशिष्ट नियम

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निदेर्शों के तहत क्रशर प्लांट स्थापित करने और संचालित करने के लिए कई कानूनी नियम और दिशा-निर्देश लागू होते हैं। ये दिशा-निर्देश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत लागू होते हैं। साथ ही, NGT के आदेश और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) के नियम भी इनके संचालन को नियंत्रित करते हैं। ये नियम पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

हिमालयी पारिस्थितिकीः उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता के कारण क्रशर प्लांट्स पर अतिरिक्त प्रतिबंध हैं। उदाहरण के लिए, नैनीताल और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में इको-सेंसिटिव जोन में कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं हो सकती।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधनः उत्तराखंड उच्च न्यायालय और UKPCB ने प्लास्टिक कचरे के निपटान पर सख्त नियम लागू किए हैं, जो क्रशर प्लांट्स पर भी लागू होते हैं।

जैविक राज्यः उत्तराखंड को जैविक राज्य बनाने की नीति के तहत रासायनिक प्रदूषण पर सख्ती है, जिसका प्रभाव क्रशर प्लांट्स पर भी पड़ता है।

जुमार्ना और दंड

गैर-अनुपालनः बिना CTE/CTO या पर्यावरण मंजूरी के संचालन पर 10 करोड़ रुपये तक का जुमार्ना और 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत)।

प्रदूषक भुगतान सिद्धांतः पर्यावरणीय क्षति के लिए क्षतिपूर्ति और जुमार्ना देना होगा।

प्लांट बंदीः NGT और UKPCB के आदेश पर अवैध या गैर-अनुपालक क्रशर प्लांट्स को तत्काल बंद किया जा सकता है।

अवैध खनन और कानूनी कार्रवाई-

-2020 में हाईकोर्ट ने भी स्टोन क्रशरों के मानकों को पूरा न करने पर नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई थी।

-अवैध खनन या नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और प्लांट सीज करने की कार्रवाई हो सकती है। उदाहरण के लिए, हल्द्वानी में 4 स्टोन क्रशर और 2 खनन पट्टों पर 52 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया था।

3.

निष्कर्ष-

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा लगाए गए क्रशर प्लांट के स्थलों का निरिक्षण किया है। विशेष दल ने आस-पास क्षेत्रों कि वीडियो फोटोग्राफी भी की है। गाँव के लोगों से बात की और उनकी शिकायतें भी सुनी। विशेष दल ने पाया कि क्रशर प्लांट लगाने के लिए कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण को दरकिनार कर NGT और UKPCB के दिशा -निदेर्शों कि धज्जियां उड़ाई हैं।

रिपोर्ट पर आधारित प्रश्न-

1- एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को भोर्सा ग्रामीण आबादी क्षेत्र में क्रशर प्लांट लगाने की क्या प्रशासनिक अनुमति दी गई है? यदि दी है तो...

2- क्या उत्तराखंड में क्रशर प्लांट के लिए (UKPCB)और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रीबूनल (NGT) के प्रमुख कानूनी नियम और दिशा-निर्देशों का प्रशासन ने पालन किया है?

3- क्या एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को लाइसेंस और अनुमति देने से पूर्व ग्राम सभा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रशासन के संबंधित विभागों ने जांच की है?

4- प्रशासन के कौन-कौन से संबंधित विभागीय अधिकारियों ने भोर्सा गांव में लगे एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के क्रशर प्लांट का निरीक्षण कर लाइसेंस के लिए अनिवार्य नियमों की जांच की है?

5- प्रशासन ने यदि आबादी क्षेत्र और नदी में क्रशर प्लांट लगाने के लिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अनुमति नहीं दी है तो क्या प्रशासन कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा?

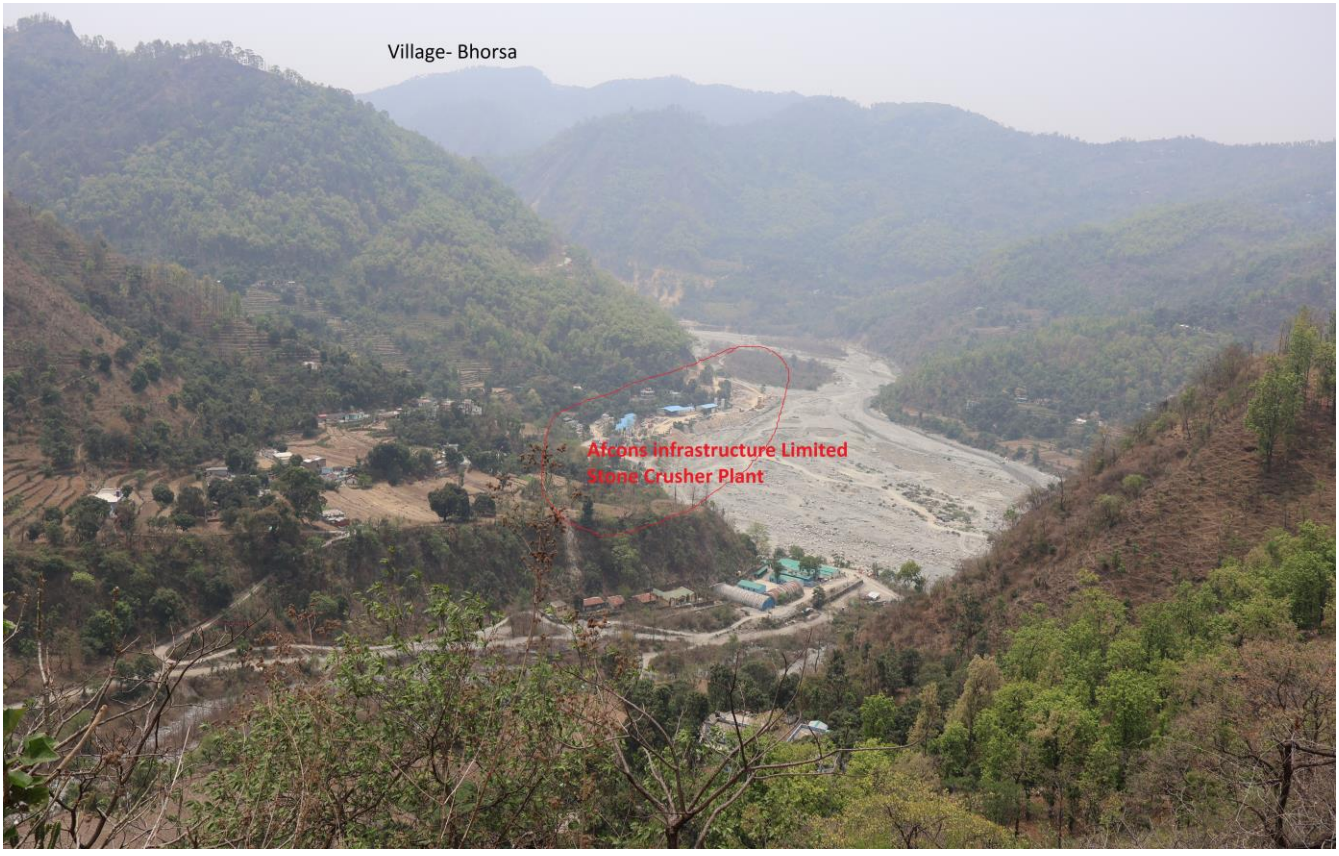

Note- शिकायत पत्र डिजिटल स्वरुप में है परन्तु, संस्था द्वारा प्रमाणित माना जाय।